न्यायालय सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) चितलवाना

पीठाशीन अधिकारी – श्री हनुमाना राम आर.ए.एस.

कैम्प :– ग्राम पंचायत केरीया

वाद संख्या 19/2014

प्रार्थीगण

1. अनोपाराम पुत्र रवाराम
2. नवाराम पुत्र रवाराम
3. जैरूपाराम पुत्र रवाराम
4. केवलचंद पुत्र रवाराम

कौम मेघवाल निवासी केरीया तहसील, चितलवाना

प्रतिवादीगण

1. चैना वल्द गिरधारी के कायम मुकाम
   (क) बाबु पुत्र चेना
   (ख) श्रवण पुत्र चेना
   (ग) भीखा पुत्र चेना
   (घ) शांति बैवा चेना
   जातियान रावणा राजपूत निवासीगण केरिया तहसील चितलवाना
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार चितलवाना

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 , 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक 17/05/2023

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 88 व 188 में दावा पेश कर निवेदन किया कि मौजा केरीया के खसरा संख्या 1779 रकबा 4.75 हैक्टर खसरा संख्या 1776 रकबा 0.27 हैक्टर व खसरा संख्या 1669 रकबा 0.50 हमारी खातेदारी के आये हुए है इस खसरान् के बीच में खसरा संख्या 1774 रकबा 1.72 हैक्टर के उत्तर का भाग हम वादीगण की खातेदारी से लगता हुआ है जिसमें से 1/2 हिस्सा 0.86 हैक्टर हम वादीगण की खातेदारी जमीन का ही भाग है जिस पर हमार कब्जा काश्त है । खसरा संख्या 1774 के आधे रकबे पर वक्त पैमाईश बिला कब्जा दर्ज हो जाने हम वादीगण को खातेदारी प्राप्त नहीं हो सकी जबकी इस जमीन पर हम वादीगण लगातार काबिज होने के उपरान्त एलोटमेंट कमेटी ने प्रतिवादी संख्या 01 चेना पुत्र गिरधारी के नाम ऐलोट कर दी है । जबकी इस नाम का कोई व्यक्ति केरीया ग्राम में निवासी नहीं करता है तथा यह ऐलोटमेंट फर्जी है अतः खेत खसरा संख्या 1774 रकबा 1.72 हैक्टर का आधा हिस्सा रकबा 0.86 हैक्टर वादीगण की खातेदारी घोषित कि जाये तथा प्रतिवादी संख्या 01 का आवंटन निरस्त किया जावें ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2024.03.21 15:51:41 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य एवं रिकोर्ड का अध्ययन किया गया वादीगण का यह तथ्य कि मौजा केरीया खसरा संख्या 1774 रकबा 1.72 हैक्टर के उत्तर का भाग हम वादीगण की खातेदारी से लगता हुआ है जिसमें से 1/2 हिस्सा 0.86 हैक्टर हम वादीगण की खातेदारी जमीन का ही भाग है गलत है खसरा संख्या 1774 रकबा 1.72 हैक्टर पुराने खसरा संख्या 3338

सहायक कलेक्टर–चितलवाना
(उपखण्ड अधिकारी–चितलवाना)

रकबा 10 बीघा 12 बीस्वा से नवसृजित है जो जमाबन्दी संवत 2014 से 2017 में सरकारी खाते में गै.मु.नदी दर्ज है । उक्त खसरा पर मात्र वादीगण के अतिक्रमण के साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध है इसके अलावा कोई साक्ष्य वादीगण ने पेश नहीं किया है कि उक्त खसरा के आधा भाग वादीगण की खातेदारी का हो ।

वादीगण को प्रशासन गांवो के संग अभियान 2023 कैम्प ग्राम पंचायत केरीया दिनांक 17.05.2023 में व्यक्तिगत सुना गया वादीगण ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि हमारा लम्बे समय से उक्त खसरा 1774 के आधे भाग पर कब्जा काश्त है तथा इस प्रकार की भूमि कई अन्य व्यक्तियो को पूर्व में आंवटन हो चुकी है अतः हमारा कब्जा काश्त होने से हमें भी आवटंन की जावें। मौजा केरीया के खसरा संख्या 1774 के पुराने खसरा संख्या 3338 की किस्म प्रथम भू–प्रबन्ध के वक्त से ही गैर मुमकिन नदी राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि के अन्तर्गत आती है जिसमें किसी प्रकार के खातेदारी घोषित नहीं की जा सकती तथा माननीय न्यायालय राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर के डी. बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान राज्य अन्य में पारित निर्णय अनुसार गैर मुमकिन नदी की भूमि होने के कारण वादीगण की खातेदारी घोषित नहीं की जा सकती चाहे वादी का कब्जा कितने लम्बे अन्तराल तक रहा हो । अतः वादी का वाद खारीज कर तहसीलदार चितलवाना को निर्देशित किया जाता है कि यदि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित किस्म की भूमि किसी व्यक्ति को पूर्व में आंवटन की गई है तो उस आवटंन भूमि के राजस्थान भू–राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1972 के नियम 14 (4) के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही करे । पक्षकार खर्चा अपना अपना वहन करे ।

(हनुमानाराम)
सहायक कलेक्टर चितलवाना
सहायक कलेक्टर चितलवाना
(उपखण्ड अधिकारी–चितलवाना)

सहायक कलेक्टर न्यायालय चितलवाना जिला जालोर

निर्णय मजमें आम आज दिनांक ... सुनाया गया ।

सहायक कलेक्टर चितलवाना
सहायक कलेक्टर चितलवाना
(उपखण्ड अधिकारी–चितलवाना)

Signature Not Verified

Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2024.03.21 15:51:41 IST
Reason: SelfAttested